राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय

अनुसूचित जाति/विमुक्त जाति के छात्र–छात्राओं के शैक्षिक स्तर में सुधार तथा साक्षरता दर वृद्धि हेतु प्रदेश में 80 आश्रम पद्धति विद्यालय स्वीकृत हैं जिसमें 23 बालिकाओं के तथा 57 बालकों के हैं। इन विद्यालयों में छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन, ड्रेस, पाठ्य–पुस्तकें एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। स्वीकृत 80 विद्यालयों के सापेक्ष वर्तमान में 57 विद्यालय संचालित हैं। शेष विद्यालयों के भवन निर्माणाधीन हैं। वर्ष 2009–10 में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के उच्चीकरण हेतु रु0 2.00 करोड़ का बजट प्राविधान है तथा 04 नये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों (1 इलाहाबाद, 1 भदोही, 1 फतेहपुर, 1 कौसाम्बी) के निर्माण हेतु रु0 15.00 करोड़ की बजट व्यवस्था कराई गयी है। एक राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय की लागत लगभग रु0 8.73 करोड़ है।